न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— ल

प्रथम अपील संख्या 52 / 2023

विनोद कुमार मार्फत मोदीकेयर लिमिटेड, रेल्वे स्टेशन की ढाणी, अडूका तन चिडावा, तहसील सूरजग
पिन कोड 333026

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश

दिन

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अ के तहत दिनांक 13.03.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर दिनांक 14.03.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही ग
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/ दिनांक 14.03.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/ दिनांक 22.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि विनोद कुमार मार्फत मोदीकेयर लिमिटेड, रेल्वे अडूका तन चिडावा, रीको रोड, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्याल को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक ए न्याय/सू0अ0/23/70 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आवेदन मे यह अंकन नही किया गया है कि आप द्वारा किस पद का दुरूपयोग एवं किसके वि सूचना चाही गई है। सूचना स्पष्ट अंकित नही होने के कारण देय नही है एवं पुनः स्पष्ट स आवेदन पत्र के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र की छाया प्रति सलंग्न कर भिजवाये जाने पर सूचन दी जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/ दिनांक 22.03.2023 द्वारा अवगत कराया है कि विनोद कुमार मार्फत मोदीकेयर लिमिटेड, रेल्वे अडूका तन चिडावा, रीको रोड, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्याल को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे कार्यालय के पत्र कमांक ए न्याय/सू0अ0/23/70 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि आवेदन मे यह अंकन नही किया गया है कि आप द्वारा किस पद का दुरूपयोग एवं किसके वि सूचना चाही गई है। सूचना स्पष्ट अंकित नही होने के कारण देय नही है एवं पुनः स्पष्ट स आवेदन पत्र के साथ शिकायती प्रार्थना पत्र की छाया प्रति सलंग्न कर भिजवाये जाने पर सूचन दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज फरमायी जावें।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूच के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस

जिला कलक

जिला कल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested